श्री मुरलीधर बनाम सुभाष
प्र.सं.- 116/2017
किस्म :- प्रार्थना-पत्र

28/07/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण......प्रशासनिक कार्य......होने से पत्रावली दिनांक 19/08/25 को पेश होवें।

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

19/08/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी/प्रार्थी ने प्रकरण मे बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर वकील विपक्षीगण ने प्रकरण मे मौखे बहस किये जाने पर सहमती जताई। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हिस्से मे विपक्षीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वकील विपक्षीगण ने बहस मे कथन किया कि मूलवाद पैतृक भूमि के बटवारे का है उभय सहखातेदार है। अत: मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। जिस पर वकील प्रार्थी ने सहमती जताई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं विपक्षीगण प्रार्थना-पत्र मे वर्णित भूमि के सहखातेदार है। अत: मूलवाद पाली बटवाडे के निस्तारण तक प्रार्थना-पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि पर उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्ष मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।